पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-1-2021 को पेश हो।

रीडर

13-1-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो।

रीडर

3-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं, अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो।

9-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-2-2021 को पेश हो।

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-2-2021 को पेश हो।

रीडर

23-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। रिसीवर ... खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

7/2006 13.6.2006 23.2.2021

मु0 गुल्लोबाई पत्नी रामअवतार जाति ब्राह्मण निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
———प्रार्थिया

बनाम

1. मु0 धापा देवी पत्नी नानकचन्द, ब्राह्मण निवासी नहर रोड़,गंगापुर सिटी
2. मु0 प्रेम देवी पत्नी रामस्वरूप, ब्राह्मण नि0जैन मंदिर के पासगंगापुर सिटी
3. नानकचन्द पुत्र स्व0गौरीशंकर,ब्राह्मण निवासी नहर रोड़ गंगापुर सिटी
4. रामस्वरूप पुत्र गणपतलाल, ब्राह्मण नि0 जैन मंदिर के पास, गंगापुर सिटी
——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राज0टीनेन्सी एक्ट
रीड विद धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :—श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने प्रार्थना पत्र बाबत् कायमी रिसीवर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि हाल खाता संख्या 65 की भूमि ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0 आबादी, ख0नं0 391 रकबा 1.15 है0, ख0नं0 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर का साबिक ख0नं0 124 था। इससे पहले ख0नं0 124 का ख0नं0 205, 207, 208, 217, 226, 227 था जिनकी खातेदारी महादेव प्रसाद के पिता श्री ऊंकार पुत्र बलदेव ब्राह्मण के नाम थी। इसी प्रकार ख0नं0 398 रकबा 0.2 है0 (खतौनी संख्या11) का साबिक ख0नं0 123 था तथा ख0नं0 123 का साबिक ख0नं0 227/4 था जिसकी खातेदारी महादेव प्रसाद के पिता श्री ऊंकार पुत्र बलदेव ब्राह्मण के नाम से थी। इस प्रकार ख0नं0 392 रकबा 1.06 है0 भी पैत्रक सम्पत्ती है। यह कृषि भूमि श्री महादेव प्रसाद द्वारा स्वअर्जित नहीं थी बल्कि पूर्वजों की सम्पत्ती है। श्री महादेव प्रसाद से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी इनके पिता श्री ऊंकार के नाम थी। पैत्रक सम्पत्ती होने के कारण इसमें महादेव प्रसाद, मु0 केसर पत्नी महादेव प्रसाद, प्रार्थिया गुल्लोबाई, अप्रार्थी नं0 1 व 2 धापा देवी व प्रेमदेवी का 1/5, 1/5 हिस्सा है। यह भूमि ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 391 रकबा 1.15 है0, ख0नं0 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर की भूमि प्रार्थिया के कब्जे काश्त की भूमि कभी नहीं रही है ना ही अब है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते

कब्जे काश्त की भूमि रही है। उनसे पूर्व यह भूमि श्री ऊंकारलाल पुत्र श्री बलदेव ब्राह्मण के कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस प्रकार यह भूमि पैत्रक आराजी है किन्तु प्रार्थिया एवं उसके पती व तथाकथित वसीयतनामे के गवाहान ने साज करके एक फर्जी वसीयतनामा इस भूमि को स्वअर्जित बताते हुए प्रार्थिया ने अपने पक्ष में पंजीबद्ध करवा लिया है जबकि श्री महादेव प्रसाद ने कोई वसीयतनामा प्रार्थिया के पक्ष में पंजीकृत नहीं करवाया। यह वसीयतनामा इसी बात से फर्जी है कि वसीयतनामा की लाइन संख्या 5 में महादेव प्रसाद ने अपने आपको विधुर होना बताया है जबकि श्री श्री महादेव प्रसाद की धर्मपत्नी केसर देवी अभी जिन्दा है। इस वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थिया ने दिनांक 21.7.2004 को श्री महादेव प्रसाद की मृत्यु होने के बाद प्रोवेट की कार्यवाही के वगैर दिनांक 15.8.2004 को राष्ट्रीय अवकाश के दिन वगैर ग्राम पंचायत की मीटिंग के सरपंच ग्राम पंचायत से साज करके अपने नाम गलत रूप से नामान्तरकरण खुलवा लिया है जबकि पटवारी हलका ने नामान्तरकरण के कालम संख्या 9 में धापादेवी, गुल्लोदेवी, प्रेमदेवी पुत्री महादेव प्रसाद व मु0 केसर बेवा महादेव प्रसाद का नाम दर्ज किया है। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील इसी न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है जो अभी विचाराधीन है तथा वसीयतनामा दिनांक 1.6.87 को भी निरस्त करने हेतु अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने दावा उनवानी धापादेवी बनाम गुल्लोबाई, मु0नं0 10/2005 प्रस्तुत कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। श्री महादेव प्रसाद ने प्रार्थिया गुल्लो देवी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा पंजीकृत नहीं कराया है। वसीयत स्वअर्जित जायदाद की ही की जा सकती है जबकि उक्त आराजियात श्री महादेव प्रसाद की स्वअर्जित भूमि नहीं रही है। इस प्रकार तथाकथित वसीयत पूर्ण रूपेण फर्जी एवं एबइनीशिओ नल एण्ड बोइड है जिससे प्रार्थिया को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा यह हकूक अप्रार्थी नं0 1 व 2 पर इनइफेक्टिव है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 28/05 उनवानी गुल्लोबाई बनाम मु0 धापादेवी वगैरा में दिनांक 15.6.05 को इसी न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि आराजी वाद[illegible] कब्जा भी प्रथम दृष्टया विवादित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं धापा देवी वगैरा की ओर से पेश का[illegible] स्वीकार किए जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे तफैसला दावा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर के मौके की स्थिति यथावत रखें। इस प्रकार से अदालत हाजा ने अपने आदेश दिनांक 15.6.05 में जमीन पर किसी का कब्जा नहीं माना है। इस प्रकार भूमि इन मीडिओ है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.6.05 के उपरान्त भी प्रार्थिया व उसके लडके राजू व दिनेश दिनांक 5.6.06 को प्रातः करीब 7 बजे वादग्रस्त भूमि को जोतने के लिए ट्रेक्टर लेकर खेतों पर आ गए और जोत लगानी चाही। धापादेवी के पुत्र मनमोहन ने उन्हें जोत लगाने से मना किया तो वे उसे मारने पर आमादा हो गए। मौके पर उपस्थित राजू पुत्र सीताराम ब्राह्मण व मुनीर खां ने मौके पर बीच बचाव कराया। दिनांक 7.6.06 को सांय करीब 4 बजे मु0 धापा देवी, प्रेमदेवी व मनमोहन जब मौके पर पहुंचे तो देख कि मु0 गुल्लोबाई व उसके लडके राजू व दिनेश उक्त वादग्रस्त आराजियात में खडे होकर ट्रेक्टर से जोत निकलवा रहे थे । इस प्रकार प्रार्थिया ने अदालत हाजा के आदेश दिनांक 15.6.05 की अवहेलना की है जिसके लिए उनके विरूद्ध दि0 9.6.06 को ब्रीच का प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है। दिनांक 11.6.06 को प्रातः 8 बजे मु0 धादेवी, मु0 प्रेमदेवी व मनमोहन जब विवादित आराजियात पर गए तो देखा कि मु0 गुल्लोबाई एवं उसका लडका राजू, दिनेश मय ट्रेक्टर के विवादित आराजियात में शेष बची भूमि में जोत लगाने लगे। मु0 धापादेवी, मु0 प्रेमदेवी व मनमोहन ने उन्हें अदालत के यथास्थिति आदेश का हवाला देकर जोत लगाने से रोका तो वे नहीं माने तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0 गुल्लोबाई प्रार्थिया ने फर्जी वसीयत नामा अपने नाम करवाया है, उसके आधार पर प्रार्थिया ने सक्षम न्यायालय से प्रोवेट प्राप्त किए बिना ही अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाया है जो स्वतः ही बेअसर है। कानून के मान्य प्रावधानों के अनुसार प्रोवेट प्राप्त किए बिना वसीयतनामा के आधार पर कोई भी व्यक्ति अचल सम्पत्ती का मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता है। आदेश दिनांक 15.6.05 की प्रार्थिया गुल्लो देवी व उसके लडके खुलमखुल्ला अवहेलना कर रहे हैं इसलिए अदालत को अपने आदेश की क्रियान्विती बनाए रखने हेतु न्यायहित में विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक व उचित है ताकि प्रार्थिया विवादित आराजियात को खुर्दबुर्द नहीं कर सके। अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 391 रकबा 1.15 है0, ख0नं0 400 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी पर तहसीलदार जी गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थिया को तलब किया गया। प्रार्थिया की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

प्रार्थिया ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रिसीवरी काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थिया ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.6.05 की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की है। जबाब के विशेष विवरण में प्रार्थिया ने अंकित किया है कि अप्रार्थी धापा देवी, प्रेमदेवी व प्रार्थिया गुल्लोबाई के पिता महादेव ने प्रार्थिया गुल्लोबाई के पक्ष में दिनांक 1.6.1987 को विधि अनुसार वसीयतनामा तहसील व तकमील करवाया था जिसको उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी ने नियमानुसार दिनांक 1.6.1987 को ही पंजीबद्ध कर दिया जिसमें गवाह शम्भूदयाल पुत्र मिश्रीलाल, [illegible]जी पुत्र भौरया माली ने महादेव की शनाख्त की थी। वसीयतनामा महादेव प्रसाद ने राजीखुशी होश हवास में लिखवाया था एवं विधि अनुसार ही पंजीबद्ध करवाया था। महादेव ने वसीयत के बारे में प्रार्थिया गुल्लोबाई व अप्रार्थी धापा देवी, प्रेम देवी, श्रीमती केसर देवी के सामने दिनांक 1.6.87 को ही बता दिया था इस कारण अप्रार्थीगण को वसीयत की दिनांक 1.6.87 से ही जानकारी रही है। वसीयतनामा महादेव ने अपनी स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ती ग्राम सलारपुर ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0 गै0मु0आबादी, ख0नं0 391 रकबा 1.15 है0, ख0नं0 400 रकबा 0.52 है0 एवं अन्य खसरा नम्बर का एवं स्वअर्जित महादेव की सम्पत्ती ख0नं0 390 रकबा 0.03 है0 गै0मु0आबादी में महादेव की रिहायशी 4 गह पाटोर क्रमशः पश्चिम की ओर 3 गह, दो गह दक्षिण व उत्तर की तीन, तीन गह इस प्रकार 11 गह पाटोर को प्रार्थिया गुल्लोबाई के पक्ष में वसीयत में रजिस्टर्ड करवाया था। विधि के अनुसार व वसीयतनामे के अनुसार किसी भी वारिस को वसीयतनामे के विरूद्ध किसी भी प्रकार का उज्र करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने महादेव की सारी चल व अचल सम्पत्ती को पैत्रक सम्पत्ती बताया है जो बिल्कुल गलत है। वसीयतनामे में अंकित सारी सम्पत्ती महादेव की स्व अर्जित सम्पत्ती रही है। तकनीकि कारण से [illegible] की कृषि भूमिमें किसी दूसरे का इन्द्राज हो जाने से महादेव की स्वअर्जित सम्पत्ती विधि अनुसार पैत्रक सम्पत्ती में परिवर्तित नहीं [illegible] की केवल मात्र प्रार्थिया गुल्लोबाई ने ही पूर्ण निष्ठा से सेवा की [illegible] महादेव की सारी चल व अचल सम्पत्ती की देखरेख प्रार्थिया गुल्लोबाई ने की थी। प्रार्थिया गुल्लोबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (स0मा0)
सत्यमेव जयते

2.6.87 को वसीयतनामा पंजीबद्ध करवाया है। महादेव की कृषि भूमि की काश्त प्रार्थिया गुल्लोबाई अपने पती व बच्चों की मदद से दिनांक 2.6.87 से निरन्तरता में आज तक करती चली आ रही है। भूमि की खातेदारी प्रार्थिया के नाम ही दर्ज चली आ रही है एवं इस पर प्रार्थिया का ही कब्जा काश्त है। महादेव का पिता ऊंकार ग्राम टोरडा तहसील लालसोट का निवासी था। उसकी कृषि भूमि ग्राम टोरडा में रही थी जिसका बंटवारा प्रार्थया व अप्रार्थीगण को महादेव ने पैत्रक सम्पत्ती होने के कारण कर दिया था। टोरडा की कृषि भूमि पैत्रक रही है। ग्राम सलारपुर की भूमि महादेव ने स्वयं की कमाई से अर्जित की है। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा उनवानी गुल्लोबाई बनाम धादेवी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वतः ही खारिज हो जाता है। माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के लिए निर्णायक नहीं है क्षेत्राधिकार बाधित है। प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण की प्लीडिंग के मुताबिक विधिक द्वारा बाधित वार्ड वाई ला है। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अनुसार अप्रार्थीगण का रिसीवरी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में अप्रार्थीगण का रिसीवरी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रिसीवरी के समर्थन में अप्रार्थीगण ने नकल निर्णय दिनांक 15.6.2005 मुकदमा नं0 28/2005 उनवानी मु0 गुल्लो बाई बनाम मु0 धापा देवी वगैरा न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी , फोटोकोपी नकल आदेश राज0 उच्च न्यायालय दिनांक 30.5.2017, फोटोकोपी नकल प्रा0पत्र धापादेवी, प्रेमदेवी दिनांक 27.7.2020 जो ए0एस0पी0 गंगापुरसिटी को दिया गया, फोटोकोपी नकल ब्रीच प्रार्थना पत्र मु0नं0 43/2007, मु0नं0 19/2006, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2059, फोटोकोपी नकल जमाबंदी ऊंकार, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी मृत्यु प्रमाण पत्र महादेव, फोटोकोपी केसर देवी के जीवित होने के प्रमाण पत्र की, फोटोकोपी पंचायत मतदाता सूची 2004 प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में प्रार्थिया ने फोटोकोपी नकल न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 15.6.2005, फोटोकोपी नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2017 उनवानी मुकदमा मु0 धापादेवी वगैरा बनाम मु0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 16:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने रिसीवरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ऊंकार पुत्र बलदेव ब्राह्मण की खातेदारी की भूमि रही है। इसके बाद विरासत में भूमि महादेव के नाम आई। महादेव के उसकी पत्नी केसर देवी, पुत्री गुल्लो बाई, धापा देवी, प्रेमदेवी वारिस हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में सभी का 1/5, 1/5 हिस्सा रहा है। इसी अनुसार पक्षकारान भूमि पर काबिज रहे हैं। महादेव द्वारा प्रार्थिया गुल्लो देवी के पक्ष में वसीयतनामा करवा दिया गया जिसमें भूमि स्वअर्जित होना बताया गया है जबकि भूमि पैत्रक रही है। यह वसीयतनामा फर्जी तरीके से गुल्लो बाई ने अपने पक्ष में करवाया है। वसीयतनामे में महादेव ने अपने आपको विधुर बताया है जबकि सरपंच के प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी पत्नी केसर देवी जिन्दा थी। वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण भी राष्ट्रीय अवकाश 15 अगस्त के दिन खुलवाया गया है। इस वसीयतनामे को निरस्त किए जाने हेतु अप्रार्थीगण ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहां दावा प्रस्तुत किया । दिनांक 15.62005 को इसी न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद किया हुआ है एवं यह आदेश आज भी प्रभावी है। इस आदेश की प्रार्थिया द्वारा अवहेलना किए जाने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के विरूद्ध दो ब्रीच प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं जो विचाराधीन है। प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की स्थिति बदलने पर आमादा है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की पालना नहीं कर रही है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को कब्जे राज में लिया जावे व इस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि महादेव की पैत्रक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित भूमि रही है एवं इसका महादेव द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में विधिवत रूप से वसीयतनामा उप पंजीयक गंगापुर सिटी के यहां पंजीबद्ध करवाया गया एवं महादेव की मृत्यु के बाद विधिवत तरीके से वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थिया के पक्ष में दर्ज हो गया जो आज भी यथावत है। इस वसीयतनामे के [illegible] होने के दिनांक से ही प्रार्थिया स्वतंत्र रूप से वादग्रस्त भूमि पर काबिज [illegible] है। इससे पूर्व भी प्रार्थिया ही अपने पिता महादेव की सम्पत्ति की देखभाल व सार संभाल अकेले ही करती रही है। प्रार्थिया की सेवा से प्रसन्न होकर ही प्रार्थिया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

जिला कलेक्टर
...सिटी (स.मा.)

जानकारी अप्रार्थीगण को शुरू से ही रही है। अप्रार्थीगण ने इस वसीयतनामे को निरस्त कराने हेतु जो वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के यहां प्रस्तुत किया था वह दिनांक 28.1.2017 को खारिज हो चुका है एवं वसीयतनामा आज भी प्रभाव में है। वादग्रस्त भूमि से प्रार्थिया को बेदखल किए जाने हेतु अप्रार्थीगण ने यह रिसीवरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इन्होने प्रार्थिया के कब्जे को विवादित बनाने के उद्देश्य से ही ब्रीच प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जब इसी न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जा चुका है एवं वह आदेश आज भी प्रभावी है तो यह रिसीवर प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। अपने इस कथन के समर्थन में प्रार्थिया के विद्वान वकील ने न्याय दृष्टान्त 2019(2) आर0आर0टी0 934, न्याय दृष्टान्त 2019(2) आर0आर0टी0 1430 प्रस्तुत किए हैं तथा रिसीवरी प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

रिबटल में अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने कहा कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.1.2017 के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका प्रस्तुत कर दी है एवं उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश भी जारी किया है। भूमि रिसीवरी में लिया जाना आवश्यक व उचित है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख एवं न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी में लिए जाने हेतु निवेदन किया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.6.2005 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाकर वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु पक्षकारान को पाबंद किया गया है। इस न्यायालय का यह आदेश आज तक अखण्डित है। हमारी राय में भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम उपचार है एवं इसका प्रयोग उसी समय किया जाना चाहिए जब भूमि को वेस्ट, डैमेज एवं एलीनिएट किए जाने का तथ्य प्रमाणित हो रहा हो। प्रस्तुत प्रकरण में इस तरह का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थिया द्वारा वेस्टे, डैमेज या एलीनिएट किया जा रहा है। हमारा यह भी मानना है कि जब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी है तो वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी में लेने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तो में भी यही मत प्रतिपादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस वसीयतनामे को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है उसे निरस्त कराऐ जाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में खारिज हो चुका है एवं यह आदेश आज भी प्रभावी है। फलस्वरूप अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी प्रार्थना पत्र आधारहीन व औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् कायमी रिसीवर आधारहीन व औचित्यहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

रजावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2021 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:34 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)